16.16 hrs.

Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Insertion of new article 75A, etc.) moved by Shri Anant Gangaram Geete on the 24th November, 2000.

MR. CHAIRMAN: Last time, Shri P.R. Kyndiah was on his feet, and he has taken only two minutes. Since he is not present, I now call Shri Priya Ranjan Dasmunsi to speak.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I rise to support the Bill introduced by Shri Anant Gangaram Geete and his contention which he has stated in his Bill.

Sir, during the Private Members' Business, considering the fate of the nation and the functioning of the system of parliamentary democracy, we can very freely and frankly express our views, which is also free from partisan angle. That is why, since the inception of Parliament, this Private Members' hour is devoted to strengthen our understanding; the views expressed further stimulate the objective understanding of respective Ministries, including the Ministry which is concerned with this Bill.

Sir, it is a fact that ours is a very strong and rich democracy in the world. It is also a fact that the constitutional guarantees for democratic functioning principally lay at the top, that is, with Parliament. The two Chambers of Parliament -- the Lok Sabha, and the Rajya Sabha -- are the most important arteries of the heart of our democracy, which we call the Indian Constitution.

Sir, after experiencing what was happening in the Rajya Sabha elections on several occasions, perhaps, Shri Geete brought this legislation with a view to cleanse the process, to strengthen the democracy, and to have certain amount of ideological commitment to the people as well as the Parliament by political parties with their respective views. I had the pleasure to go through the text of the Bill in depth, and I can only thank Shri Geete for choosing the appropriate time and hour to bring this piece of legislation.

Sir, a few minutes before, informally, I was chatting with the hon. Minister and I asked him, "When will all the parties unite, free from all partisan angles, to stop the criminalisation of politics? When shall we come together to concur on the most important point that the Parliament or this institution should not indulge or encourage the criminalisation of politics through the loopholes in the system, as has been pointed out by the media, by the man on the street or by any significant number of voters belonging to any ethnic or linguistic group? Criminalisation of politics is not merely about murdering a man or assaulting a woman, but it is about the very tenet of democracy, that is, probity in public life. We come to Parliament to fulfil the aspirations of the people. We may not fulfil all their aspirations because the capacity is limited, but if we remain answerable and honest, then we can at least maintain probity in public life. That way, the democracy could be further strengthened.

Sir, when I was a student in my school and college I used to ask my parents about what the Rajya Sabha was all about. They told me that the Rajya Sabha was the House of wisdom; it was the House of knowledge and it was the House of experts who lent enough strength to our democracy. Eminent politicians of our country emerged from Rajya Sabha. I would not like to take names. The numbers would be more. There were Members from the Congress Party, the Swatantra Party, the Communist Party etc. Dons of our democracy, luminaries of the legal world, professionals from the industry had many times donned the forum of the Rajya Sabha and have provided enough strength to our democracy. It sometimes so happened that a debate that was concluded in Lok Sabha and when it was sent to Rajya Sabha, it found a new look and a new approach. That is why, I think, the makers of the Constitution perhaps thought, finally in regard to amending the Constitution, that a significant role should be played by Rajya Sabha because it is the House of wisdom, it is the House of knowledge and it is the House of professionals and experts. Who are they? They represent the society. They represent our stream of life. Maybe, they do not work exhaustively at the grassroots that the Members of Lok Sabha do, but at the same time they have the desire to represent the people. For instance, Dr. Raja Ramanna is one of the greatest scientists of this country and he is a Member of Rajya Sabha. It is not a pleasure for Rajya Sabha alone but it is a pleasure for the entire nation that such scientists and professionals do come to Rajya Sabha.

Sir, I would not like to mention about the credentials of any individual here. But the method of election in Rajya Sabha − as has been pointed out by Shri Geete − is a real pointer to what is happening today in our parliamentary system. How do we elect the Members of Rajya Sabha? That is the question. The numerical strength of the House or the strength of the political party decides the quota. If there is a fraction here and there within the party or if there is some dissension, then in spite of the choice of the candidate by the party, all kinds of horse trading and money power come to the fore. This aspect has been amply demonstrated in one of the recent elections to Rajya Sabha in one of the largest States of our country. It has shown how cruelly and crudely money power plays a role in determining the fate of a candidate, not any party candidate who has his usual numerical strength in the House, who is having the money power outside the House. This destroys the entire faith of the people; this destroys the entire tradition of Rajya Sabha and the entire commitment to the nation. We keep quiet simply because we feel that

that person wins who is able to manage his vote. I used the words, `manage the vote' which means that he who has the money power gets elected to Rajya Sabha. It does not happen in all cases but in a few cases it happens and this has been amply demonstrated in the recent Rajya Sabha elections in one of the largest States of this country. This incident has opened our eyes and thus we are asking the question as to whether there should be a check on it or not. Therefore, the first provision that Shri Geete has proposed is very significant. If ten parties do get nine seats on their own quota and on their own strength, then that party should choose and nominate the candidates. If a fraction is left out or if there is a combination of a fraction − it is anybody's game − then let that not be decided by money power. Let there be an election with a clear direction which would be known to the presiding authority, who is called the Whip, and let that be done transparently.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, ये आज वाले बिल पर चर्चा कर रहे हैं या राज्य सभा वाले बिल पर जो गीते जी का दूसरा बिल है, उस पर चर्चा कर रहे हैं? आज तो जो बार-बार सरकारें गिरती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हाउस को पांच साल तक रहना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी वही रहना चाहिए â€¦(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : वह तो कंक्लूड हो गया है। That is the Bill that was pending. Shri Dasmunsi, you are totally on a different subject.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : But the list of Business does not say so. The List of Business says that we have to discuss this Bill.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अभी तक तो वह कंक्लूड नहीं हुआ है।â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The List of Business says, further consideration of the following motion moved by Shri Anant Gangaram Geete on the 24th November, 2000, namely:-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration. "

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, then I am not taking part in it.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, श्री अनंत गंगाराम गीते जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक, 1999 का मैं समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस गैर-सरकारी विधेयक के ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । इस विधेयक में भावना व्यक्त की गई है कि पिछले वाँ में, 1989 से 2001 तक, ग्यारह-बारह वाँ में लगभग आठ-नौ बार सरकारें बनी हैं और गिरी हैं। देश के अन्दर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की स्थिति बन गई है। आप सब जानते हैं, देश के अन्दर छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रही हैं। इन राजनीतिक पार्टियों का बाहुल्य हो गया है। गंगा गई, तो गंगादास और जमुना गई, तो जमुनादास। आज किधर, कल किधर और परसों किधर। ऐसी स्थिति के अन्दर देश में एक ऐसा वातावरण हो गया हैâ€¦(व्यवधान) साझा पार्टियों की सरकारें भी बनने और टूटने लगीं हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में देश एक प्रकार से कमजोर होता चला जा रहा है। बार-बार चुनाव के कारण राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार एक प्रकार से कमजोर होती चली जा रही हैं। जनता अपने नुमाइन्दों को पांच साल से लिए चुनकर भेजती है । नुमाइन्दे लोक सभा में या विधान सभाओं में जाकर बहुमत के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं। वह नेता राज्य में मुख्य मंत्री और लोक सभा में प्रधान मंत्री बनता है। वह प्रधान मंत्री बराबर, चूंकि दलबदल के कारण अथवा एक पार्टी को बहुमत नहीं होने के कारण या अनेक पार्टियों का संगम होने के कारण, रात-दिन इस चिन्ता में रहता है कि वह अपना बहुमत सदन में किस प्रकार से बनाए रखे। रात-दिन इसी चिन्ता में रहता है कि मेरी कुर्सी किस प्रकार सलामत रहे। बार-बार के चुनावों से भी करोड़ो-अरबों रुपयों का देश का नुकसान होता है। देश की गाढ़ी कमाई चुनाव कराने में चली जाती है। जनता भी बार-बार चुनावों से परेशान हो जाती है।

जैसा मैंने कहा, पिछले 10-12 वाँ के अन्दर आठ बार सरकारें बदलीं। अभी दासमुशी जी राज्य सभा की तारीफ और बड़े पुल बांध रहे थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर कांग्रेस ने अस्थिरता पैदा करने का दुस्साहसपूर्ण प्रयत्न किया। 1989-90 में श्री वीपी सिंह की सरकार बनी थी। तब से लेकर आजतक सरकारें कैसे गिरीं, इसका पता लगाया जाए, तो स्पट रूप से पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार â€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कांग्रेस की सरकार कभी नहीं गिरी। आप लोगों की सरकार बनती है और टूटती है। â€¦(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : सुन लीजिए। 1991 में चन्द्रशेखर जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया â€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकारें आप बनाते हैं, गिराते हैं। हमारी सरकार कभी नहीं गिरी।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया है, इसलिए कह रहा हूं।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, 1991 में कांग्रेस ने चन्द्रशेखर जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया। बाद में राजीव गांधीजी ने बहाना बनाकर कि हरियाणा की पुलिस सीआईडी कर रही थी, गुप्तचरी कर रही थी, समर्थन वापिस ले लिया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, चन्द्रशेखर जी की सरकार को किसने गिराया? इसके लिए आप दोाी हैं, क्योंकि चन्द्रशेखर जी को आप सपोर्ट कर रहे थेâ€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मणिपुर की सरकार को किसने गिराया â€¦(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इसी प्रकार नरसिंह राव जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। नरसिंह राव जी जोड़-तोड़कर कांग्रेस के प्रधान मंत्री रहे। जोड़-तोड़कर, दल-बदलवा कर, यहां पर किस प्रकार से अपना बहुमत सिद्ध किया, यह आप सभी जानते हैं। आज बूटा सिंह जी या उनके साथियों तथा अन्य लोगों को सरकार बनाने के अन्दर न्यायालय ने दोाी सिद्ध किया है। देश के किसी प्रधान मंत्री को नरसिंह राव जी की तरह से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, जिस प्रकार नरसिंह राव जी ने दल-बदलवा कर अपनी सरकार को कायम रखा । नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कहा जा रहा है हम तो नहीं गिराते हैं, अपने कर्म से गिरते हैं। इस पर हमें आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के अन्दर अस्थिरता पैदा करने का दुस्साहस किया है। देश को चुनाव की भट्ठी में ढकेलने का काम किया है।

फिर पांच साल के बाद देवेगोड़ा जी की सरकार बनी, उसके बाद गुजराल जी की सरकार बनी। इन दोनों सरकारों को भी बाहर से सपोर्ट करने वाली पार्टी कौन सी थी।...(व्यवधान) इन सरकार को बनाने वाली और गिराने का ड्य्ंत्र रचने वाली भी कांग्रेस थी।...(व्यवधान) "सांच को आंच क्या" "A lie has no legs to stand upon." झूठ के पांव नहीं होते।

महोदय, माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और वह सरकार काम करने लगी तो उसके बाद जयललिता जी और जिन के साथ आज कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार बना कर बैठी है वह एनडीए से अलग हुई तथा उसके बाद वह सरकार अल्पमत में रह गई। यहां हाउस में वोटिंग हुआ तो एक वोट से वह सरकार गिर गई। उस समय सरकार बनाने के लिए कौन लालायित थे? सोनिया जी प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रही थीं। 245 से आगे आंकड़ा नहीं बढ़ा। हिन्दुस्तान में जो भी सरकार हुकूमत करना चाहती है उसे 272 की संख्या चाहिए। यहां आपस में तालमेल नहीं बैठा। एक ने कहा कि मेरी पार्टी का प्रधान मंत्री होगा और दूसरे ने कहा कि मेरी पार्टी का प्रधान मंत्री होगा। देश की जनता को फिर चुनावों की भट्ठी में धकेल दिया और देश के अरबों रुपए जो विकास के काम में खर्च होने चाहिए थे, प्रगति के पथ में ले जाने के लिए खर्च होने चाहिए थे, केवल प्रधान मंत्री के पद को लेने के लिए और चुनी हुई सरकार को बिना जन समर्थन के गिराने और जोड़-तोड़ की राजनीति करके बर्बाद कर दिए गए तथा ऐसा दुस्साहसपूर्ण कृत्य करने का दोा किया। इस कारण आज देश में अस्थिरता पैदा हुई। इसलिए गीते जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसमें जो चुने हुए लोग हैं. चाहे लोक सभा के लिए हों या विधान सभा के लिए हों, वे पांच साल के लिए चुन कर आते हैं। पांच साल तक उनका अस्तित्व रहना चाहिए और जो प्रधान मंत्री बनता है, वह मान लिया, उनका बहुमत यदि सदन में है तो अविश्वास प्रस्ताव कोई पार्टी लाती है तो पहले उसे ऐसे नेता को चुनना होगा जिस का बहुंमत हो। बिना नेता के चुने, बिना परीक्षा लिए कि वास्तव में वह सरकार बनाने लायक है या नहीं, पहले जो सरकार है उसे बहुमत नहीं है तो चार महीने के लिए इसमें प्रावधान है कि लोक सभा या विधान सभा को निलम्बित कर दिया जाए, फिर चार महीने बाद वापस लोक सभा को महामहिम राट्रपति जी बुलाएं और विधान सभा को राज्यपाल महोदय बुलाएं तथा फिर वही प्रस्ताव रखें कि चुनी हुई जनता के लोग अपने में से किसी नेता को चुन सकते हैं या नहीं? यदि वे चुनने की स्थिति में हैं और जिस नेता को बहुमत प्राप्त है तो वह प्रधान मंत्री बन कर लोक सभा का कार्यकाल पूरा करेगा और सरकार को चलाने का काम भी करेगा, यह व्यवस्था है।

अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में कहा जा रहा था उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्या आपको यह याद रहा, लेकिन Politicisation of criminals, यह भी कह दें कि आज कौन से लोग किन का साथ दे रहे हैं? यह हाउस भली प्रकार जानता है। जहां राजनीति का अपराधीकरण रोका जाना चाहिए वहां अपराधों का राजनीतिकरण रोके जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही जहां धन, बल या बाहुबल हो और चुनावों में नाना प्रकार की बीमारियां आ गई है तथा जनता बार-बार परेशान हो रही है अगर लोक सभा के सदस्यों के अंतःकरण से पूछा जाए कि क्या उनके ऊपर हमेशा डेमोक्लीस् की तलवार जैसे राजा के ऊपर लटकती रहती है, उसे हमेशा चिन्ता रहती है ऐसा न हो कि लोक सभा भंग हो, बहुमत समाप्त हो जाए और हमें वापस चुनाव के लिए जाना पड़े। जनता भी बार-बार कहे कि अभी चुन कर भेजा है और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कभी 13-14-16 और कभी 18 महीने तथा कभी दो साल या ढ़ाई साल में ऐसा हो जाता है। इस प्रकार का वातावरण देश में पैदा हो गया है। इस अनिश्चितता, अस्थिरता के वातावरण को दूर करने के लिए, राजनैतिक स्थिरता लाने के लिए प्रशासनिक दृढ़ता लाने के लिए, राट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यकता है कि बार-बार चुनाव होने से रोका जाए। इसलिए लोक सभा का माननीय सदस्य पांच साल के लिए चुना जाता है, उन्हें कार्य करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोई सरकार बनती है, उसका बहुमत भी रहता है तो सदन को अधिकार होना चाहिए कि अपने में से किसी योग्यतम व्यक्ति को नेता चुन कर पुनः प्रधान मंत्री पद पर प्रतिठित करे। वह पांच साल तक हाउस को चलाए ताकि बार-बार चुनाव का खर्चा देश के खजाने पर न पड़े और लोगों को गरीबी का सामना न करना पड़े।

अगर सरकार को इस बात चिंता नहीं रही तो बाद में उसको देश के विकास के लिए, राट्र के सर्वांगीण विकास और हित के लिए कुछ अप्रिय कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए।

आज सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती वोट की राजनीति के नाम पर या मीडिया में छा जाने के नाम पर किस-किस प्रकार के स्वॉग रचे जा रहे हैं, यह सब जानते हैं और इसके बारे में कहने की कतई आवश्यता नहीं है। मैं माननीय अनन्त गंगाराम गीते जी द्वारा लाए गये संविधान संशोधन विधेयक, 1999

(नये अनुच्छेद 75क, आदि के अंतःस्थापन) का पुरजोर समर्थन करता हूं। विधान सभा या लोक सभा के बारे में, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री के निर्वाचन के बारे में जो प्रा वधान इसमें दिये गये हैं वे बहुत ही युक्तिसंगत, तर्कसंगत और ठीक हैं और सरकार को उन पर गंभीरता से विचार करके इस संबंध में आगे सोचना चाहिए।

मैं एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय वैंकटास्वामी जी की अध्यक्षता में उन्होंने इस संबंध में एक आयोग बना दिया है जो संविधान की धाराओं के संबंध में पूर्णरूपेण चर्चा करेगा और उस पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। मैं पुनः माननीय गीते जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): The aim of this Bill is crystal clear. The Indian political system, as you know, is undergoing a very difficult situation. The parliamentary system as a whole is facing a crisis. Many people are thinking in terms of changing the system. Why should we not examine the system of presidential rule? Things have developed to such an extent that, to some people, the change of system is unsavoury. But the system, as it is, is not answerable for all these drawbacks.

People who were dealing with the system have done many wrong things and their wrong doings are reflected on the system. That is why, the people are thinking of changing the system. The system is good and it is appreciated throughout the world. Every country is thinking of a democratic system. Even in Indonesia recently the system was changed to a democratic one through political process. Shrimati Meghawati Sukarnoputri was elected patiently under a political system. The Assembly took a decision; and after due consideration it was done.

In India, the recent experience in Manipur is a glaring example. The parliamentary democracy is facing a crisis.

Even the Speaker of that Assembly is coming to the scene as an aspirant for Chief Ministership. He met the Governor of Manipur several times and requested him to appoint him as the Chief Minister of that State. But the Governor politely told him that he could not be appointed as Chief Minister because he happened to be the Speaker of the Assembly. So long as he continues as the Speaker, the Governor cannot consider his case for Chief Ministership. So, things have developed to this extent.

In Tamil Nadu, we have another example. Though the final word is to come from the Supreme Court − I do not say whether it is right or wrong − I will explain the situation.

There is a Constitutional authority under the authority of the Election Commission of India. They had found the present Chief Minister to be unsuited or disqualified of being a Member of the State Legislature. And, to be the Chief Minister of a State, membership of the State Legislature is a must. An interregnum of four to six months is given during which period one must acquire this qualification. How can a person, who is disqualified by the Election Commission, acquire the qualification of the membership of the State Legislature? That is a very serious matter. The Election Commission, in this particular case, had taken a decision against her and the same Election Commission at a later stage had to confer qualification to the present Tamil Nadu Chief Minister after the Supreme Court decided in her favour. We have numerous such instances.

In the State Legislatures, the MLAs sit together and make claims and counter-claims in the lawns of the *Raj Bhawan.* The Supreme Court finally gave a ruling that the Lawn is not a place to decide the majority of the House. Decision regarding whether the Government enjoys majority or not, should be taken on the floor of the House. The decision should come from within the four walls of the House. That is the only place under the Constitution where the people's representatives should take a decision. Any decision taken either in the lawns of the *Raj Bhawan* or anywhere else does not have any legality. That is the present stage. Every day we are getting new experiences in these matters.

In many States, elections have been ordered within a short period. Even in this House, after 1989, we had eight coalition Ministries but elections were many. The elected MPs had to go to the electorate within 13 to 14 months of the election. That is the present stage. If things go on like this, what will be the future of the Indian democracy or Indian polity? That is a matter which all of us should ponder over with all seriousness, with all efforts in our mind.

In the present context, the present NDA Government has appointed a Constitution Review Commission but there are disputes regarding the intention of the Constitutional review. Since the intention is not good, we have to oppose it. Since a review of the Constitution is thought of by the Government, it makes clear that our Constitution requires some change. But the review has been undertaken with a political motive. Centre-State relations are now at a low ebb. A few hours back I spoke on inter-State water dispute. That is a federal matter which could not be decided purely under the provisions of our Constitution. There were also disputes with regard to the financial matters.

The State finances are being reduced by the Centre. Almost all the States are having complaints about this federal nature in the sharing of taxes. The Tenth Finance Commission and the Eleventh Finance Commission have recommended certain items with regard to Centre-State Relations in the matter of sharing of taxes. It is said that even in that respect the relationship between the Centre and the States is undergoing a crisis. There is some political influence also behind the scene.

If I may put it correctly, till 1989, there was one party rule in the Centre. Now, afterwards coalition Governments took over. In some States, coalition Governments had come much earlier and now it is the order of the day that minority Governments are in office with the support of splinter groups. This will not be conducive to the development of parliamentary democracy. That is a matter to which all of us should give a thought. The founding-fathers of the Constitution might not have envisaged or even thought of such a situation developing in India. But unfortunately beyond all our expectations, the situation has come to such an extent that minority coalition Governments came to power. These Governments undertake any measure to maintain their Governments in office. They may or may not follow the strict principles enshrined in our Constitution. That is our past experience in many States and the last being Manipur experience.

In all these matters, the primary and vital issue is the role of elected representatives of Parliament as well as of State Legislatures. They are not given the power to take a decision in the appointment of Prime Minister or the Chief Minister. The Prime Minister is appointed by the President and the Chief Minister is appointed by the Governor of the State. We the Members of the Legislature do not have any voice in that decision. In the event the persons who are not Members of the Legislature are appointed as Chief Ministers in our country, six months gap is also allowed in the Constitution. So any ordinary person who is not at all elected by the people can become Chief Minister or the Prime Minister as the case may be in India. This is an extraordinary situation which has created many hurdles in the development of parliamentary democracy. That is our bitter experience. The Prime Minister need not be a Member of Parliament and the Chief Minister need not be a Member of the Assembly. But once he is appointed and gets through the election, he can continue in office as long as he enjoys confidence of the House.

So, when the House decides lack of confidence in the Ministry, the entire thing stops. The Chief Minister or the Prime Minister as the case may be, will have to resign as per the provisions of the Constitution. We, the Members of Parliament vote on the No Confidence Motion against the ruling Prime Minister without having a voice in the matter of his appointment. We will have to face the electorate immediately after the No-Confidence Motion is passed.

Is it good? Each and every time we will have to go to the electorate for having passed a No Confidence Motion against the Prime Minister or the Chief Minister as the case may be. This will naturally lead us to frequent elections which would prove to be costly to the Exchequer. India is a developing country and we have many things to do. When we are facing a financial crisis is it good or proper to have frequent elections in our nation either to the Parliament or to the State Assemblies? We will have to ponder over this matter.

Therefore, Geete ji has brought forward an amendment. The salient aspect of my amendment is insertion of a provision to give a cooling period of four months for reconsideration of the Composite Motion by the Parliament or the Assembly before the dissolution of the same. So, when a No Confidence Motion is passed, the House shall be prorogued for four months. The President or the Governor is constitutionally bound to re-summon the House after four months. This period is called the cooling period. In this time changes may take place; new alignment may take place; decisions may take place leading to the reconsideration of the Composite Resolution. If Members are not in a position to pass the Composite Resolution suggesting the name of a new Prime Minister in the place of the incumbent Prime Minister who has been voted out, the House shall be prorogued for four months after which the President or the Governor shall re-summon the House and the Composite Resolution expressing lack of confidence in the incumbent Prime Minister or the Chief Minister and suggesting a new name for the position of the Prime Minister or the Chief Minister shall be re-considered by the House. The House can take a decision in the matter.

Suppose the House is unable to take a decision regarding the question of a successor, then there is no other go. The President or the Governor has to dissolve the Parliament or the Assembly. But the Members of the House would have got an opportunity to decide the question after four months and we have a right to decide the question. Now decisions are being taken outside the House by political parties in their offices. I do not stand in the way of political parties taking a decision; but it must be approved by the House.

So, this is the amendment that I propose. This is a Constitution amendment for making our Parliamentary democracy more viable, more effective and more workable. We expect that a decision by the Supreme Court will come out in this matter when they take up the Tamil Nadu question. That will be another landmark in the history of Parliamentary democracy.

With these words, I conclude.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, गीते जी जो बिल लाए हैं इस बिल की भावना तो ठीक है मगर मुझे लगता है कि आज जो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी स्वीकार की है इसमें जिसके पास मेजॉरिटी होती है उनको ही सत्ता पर रहने का अधिकार होता है। कांस्टीट्यूशन मेकर डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान बनाते समय चुनाव का पीरियड पांच साल बाद रखा था और ऐसा ही हमारे संविधान में है लेकिन 1989 से लेकर आज तक 12 साल में पांच इलेक्शन हुए हैं जो डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। इसके लिए सभी पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे रावत जी बोल रहे थे कि पार्टियां सदस्यों को इधर से उधर और उधर से इधर लेती हैं। आपकी भी 24 पार्टियों की सरकार है। आपके लोग भी कभी इधर आते हैं और कभी उधर जाते हैं। जब वहां से जयललिता इधर आईं तो आपको लगा कि एक वोट से सरकार गिरी मगर आप सरकार बचाने के लिए यहां से हरेक पार्टी को बुला रहे हैं। आज भी मुझे उधर से कुछ मेम्बर बोल रहे थे कि आप अच्छे मेम्बर हैं और आप इधर आ जाइए। तो मैंने बोला कि मैं उधर आऊंगा लेकिन तब जब आप इधर आएंगे। अकेले उधर आने से कोई फायदा नहीं है तो ये कह रहे थे कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे। मैं मिनिस्टर बनने के लिए सदन में नहीं आया हूं। यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब लोग लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को मज़बूत बनाने की बात करते हैं. जनता को मजबूत बनाने की बात करते हैं मगर जनता को मजबूत बनाने के बारे में हम गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं कि पार्टी कैसे मजबूत होगी।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप अकेले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1982 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सदस्य थे और अभी 19 साल में आप 182 हो गए हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि आज हम अकेले हैं लेकिन दस साल के बाद हमारी पार्टी के सौ के ऊमर सदस्य सदन में हो सकते हैं।

महोदय, बाबा साहब अंबेडकर ने भी दो पार्टी सिस्टम की बात हमारे देश को बताई थी। जब उन्होंने पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी ऐक्सैप्ट की थी और हमारे देश को संविधान दिया था तब बाबा साहब अबंडकर ने दो पार्टी सिस्टम का ज़िक्र किया था। इस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी 24 पार्टियों की सरकार चल रही है, आप सब पार्टियों की एक पार्टी बनाने का प्रयास कीजिए। शिव सेना से भी निवेदन है कि वे बीजेपी में जाएं या बीजेपी वाले शिव सेना में आ जाएं। एक पार्टी बनाने का जो प्रयत्न है इससे डैमोक्रेसी मजबूत होगी और पांच सालों बाद ही चुनाव होंगे। अभी अगर कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो प्रेजीडेन्ट को सरकार को डिसॉल्व करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी सरकार को एक साल और छः महीने हो गए हैं, अभी छः महीने आप और रहिए और दो साल पूरे कीजिए, उसके बाद तीन साल हम सरकार चलाएंगे और फिर चुनाव होंगे, कोई भी सरकार गिराने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम सब लोग पार्लियामेंट को बचाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब सोच रहे हैं कि किस तरह से हम सब एक जगह पर आ सकते हैं मगर हमारे देश में दो पार्टी सिस्टम नहीं है और इस बारे में सबको सोचने की आवश्यकता है। मैं भी इस उम्मीद का हूं कि पांच साल बाद इलेक्शन कराने चाहिए। सिर्फ जनता ही इससे परेशान नहीं है, हम सब लोग भी परेशान हैं।

17.00 hrs.

डेढ़ या दो साल में हो जाए, यह ठीक नहीं है। इसलिए जो भी मैम्बर चुनकर आए हैं, उनके हाथ में पांच साल पार्लियामेंट रहनी चाहिए। उन्हें पांच साल तक पार्लियामेंट का सदस्य रहने का पूरा अधिकार है। अब यह आपको सोचना है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट को पांच साल तक रखना है। अगर आपकी सरकार गिरती

है, तो आपको हमारे पास आना चाहिए। पिछले साल सोनिया जी को प्रधान मंत्री बनाने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन वे नहीं बन सकीं। जय ललिता जी, आपके साथ थीं, उन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी थी। आप लोगों ने मैजोरिटी बनाकर सरकाई बनाई थी, लेकिन उन्हें आप लोग संभाल नहीं पाए और हम भी नहीं संभाल पाए।

सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि जो लोग आपके साथ आए हैं उन्हें संभालना आपका काम है। आप लोग ज्यादा मारैलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप ही देख लीजिए, पी.एम.के. फिर उधर चला गया। पहले आपके साथ था, लेकिन इलैक्शन होने के बाद उधर चला गया और आप हमें नीति की बात सिखा रहे हैं।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : रामदास जी, आप थोड़ा बिल पर भी बोलिए।

श्री राम दास अठावले : सर, मैं बिल ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप बिल पर नहीं, बिल से बाहर की बातें कह रहे हैं। मेरा आग्रह है कि बिल पर बोलिए।

श्री राम दास अठावले : सभापति महोदय, श्री अनन्त गंगा राम गीते जी ने सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि सांसद को पांच साल तक संसद का सदस्य रहने का अधिकारी होना चाहिए। अब पांच साल तक संसद को कैसे रख सकते हैं, वह सोचना आपका काम है क्योंकि सरकार में आप हैं।

सभापति महोदय, यहां प्रमोद महाजन जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर पांच साल आप अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आपकी सरकार को गिरा दें। वैसे भी आज की स्थिति यह है कि हम आपकी सरकार को गिराने की कोशिश भी करें, तो भी वह गिरेगी नहीं, क्योंकि कोई दूसरा ि वकल्प नहीं है। इसलिए हम गिराने की बात नहीं सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरे पांच साल उधर बैठें। यदि आप पूरे पांच साल वहां बैठेंगे, तभी हम यहां सदस्य के रूप में बैठ सकेंगे। इसलिए आप लोगों को यह सोचना है कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उन्हें आप अपने साथ कैसे रखते हैं और आपकी नीतियों का वे समर्थन करते हैं या नहीं, वह देखना भी आपका काम है। चाहिए तो यह कि जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हैं, उन्हें आपकी नीतियों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, भाजपा की नीतियों का समर्थन शिव सेना भी नहीं करती है जो कि उसकी सहयोगी पार्टी है और सरकार में शामिल है। यह ठीक नहीं है। आपकी जो मत-भिन्नता है, वह अलग है, लेकिन पांच साल तक उनका पूरा समर्थन आपको मिलना चाहिए। पूरी पांच साल पार्लियामेंट चले, उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि देश में दो पार्टी सिस्टम आए। मैं तो कहता हूं कि हम सभी को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, हमारे शिव सेना दल के नेता श्री अनन्त गंगा राम गीते जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं ख़ड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : जाधव जी, एक मिनट रुकिए।

इसके ऊपर तीन घंटे का समय निश्चित किया गया था। वह समाप्त हो रहा है और अभी कुछ सांसद बोलने वाले हैं, मंत्री जी जवाब देने वाले हैं और गीते जी कुछ पूछने वाले हैं, इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा प्रस्ताव है, यदि सदस्यों की अनुमति हो, तो इस विाय पर 45 मिनट समय और बढ़ा दिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : अनुमति दी जाती है।

सभापति महोदय : ठीक है। माननीय सदन की सहमति से इस विाय पर बोलने के लिए 45 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेश जाधव जी, अब आप अपनी बात कहना जारी रखें।

श्री सुरेश रामराव जाधव : सभापति जी, मैं कह रहा था कि संपूर्ण दुनिया में हमारा गणतंत्र सबसे बड़ा गणतंत्र है। इसी प्रकार हमारे देश की आबादी भी बहुत बढ़ गई है।

हमारे संविधान निर्माताओं की, जिन्होंने गणतंत्र बनाया, उस समय भावना यह थी कि हमारी असैम्बली और लोक सभा का पांच साल का जो कार्यकाल है, वह उसे पूरा कर सके। हमारी जनता हमें पांच साल के लिए असैम्बली में भेजती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जनता का मैनडेट पांच साल के लिए मिलता है। मेरे जैसा नया पार्टी वर्कर जब चुनाव लड़ता है तो ऐसा लगता है कि वह लोक सभा में पांच साल के लिए चुन कर जाने वाला है। लेकिन मेरा खुद का यह अनुभव है कि 1996 से लेकर अभी तक, चार साल में मेरे जैसै पार्टी वर्कर को तीन लोक सभा का सामना करना पड़ा। 1996 से लेकर अभी तक इस देश में लोक सभा के तीन चुनाव हो गए हैं। एक लोक सभा का चनाव लड़ना कितना आसान है या नहीं, सभापति जी, यह आपको कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने में ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल खर्च, कैनडीडेट का खर्च अलग है, चुनाव आयोग का खर्च अलग है, इसके बाद ऊपर का खर्च है, कुल मिला कर मेरे ख्याल से एक कैनडीडेट का कम से कम दो करोड़ रुपये खर्च आता है। यदि लोक सभा पांच साल तक नहीं चल सकी तो इस देश में चुनाव के नाम पर कितना फिजूल खर्च भुगतना पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्थिरता के लिए, खर्च की कटौती के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए और दिन-प्रतिदिन जो राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है, उसे रोकने के लिए भी लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच साल पूरा करने की जरूरत है। अभी का समय ही अच्छा है। लोक सभा का गठन पांच साल के लिए हो, वह बीच में भंग न हो, इसपर विचार करने के लिए हाई लैवल कमेटी बनाकर, उसमें डिस्कशन करके कोई न कोई पर्याय सामने लाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हर पार्टी की, हर सांसद की और पूरे देश की जनता की भी यह इच्छा है कि लोक सभा का या राज्यों की विधान सभाओं का जो पांच साल का कार्यकाल होता है, वह पूरा होना चाहिए, तभी लोगों को विकास के अवसर मिलेंगे और देश का विकास हो सकेगा। चुनाव के नाम पर देश में बहुत फिजूलखर्ची होती है, जबकि आज भी ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। देश को आजाद हुए करीब 53 साल हो गए, लेकिन कई लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं है, जो प्राइमरी चीजें मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाई हैं, जबकि हम चुनाव में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे देश में अस्थिरता पैदा हो गई है। इस वास्ते प्रशासन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रशासनिक स्थिरता लाने के लिए भी लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की जरूरत है। हम लोग शासनकर्ता हैं। जो प्रशासन करने वाले हैं, उनको यह मालूम हो जाए कि लोक सभा या विधान सभा पूरे पांच साल नहीं चलेगी तो उनके ऊपर अंकुश नहीं रहता। अगर हमें प्रशासनकर्ताओं पर अंकुश रखना है तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पूरे पांच साल तक होगा। इसलिए जब तक हमें स्थिरता नहीं मिलेगी, प्रशासन करने वालों के ऊपर हम अंकुश नहीं रख पाएंगे और इससे विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए लोक सभा का और राज्यों की ि

वधान सभाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए।

ग्यारहवीं लोक सभा 18 महीने रही, बारहवीं लोक सभा 13 महीने रही और अब तेरहवीं लोक सभा चल रही है। हमारे दल के नेता ने जो यह बिल यहां पेश किया है कि लोक सभा का और राज्यों की विधान सभाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर ये बीच में ही भंग हो जाती हैं तो कई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसलिए गीते जी द्वारा पेश किए गए इस बिल का हम समर्थन करते हैं।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, लोक सभा का कार्यकाल पांच र्वा होना जरूरी है, क्योंकि सभी सांसद पांच साल के लिए चुने जाते हैं। जब चुनाव होता है, उस वक्त पांच साल की अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाते हैं। लोक सभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री बनाया जाता है। जब अ विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश हो और वह पास हो जाए तो प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद अगर किसी भी दल को सदन में बहुमत प्राप्त न हो तो लोक सभा को भंग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। देश में अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाते हैं, लोगों के पास खाने के लिए साधन नहीं रहते, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न रोड है, न गली है और लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होता है तो इससे देश और कमजोर होता है। हमारा देश पहले ही ऋणी हो चुका है और पहले ही कर्ज में है। आज देश की स्थिति जर्जर हो चुकी है। आये दिन बाढ़ आती रहती है या अन्य अनेक प्रकार की विम परिस्थिति पैदा होती रहती है। कहीं सूखे की स्थिति हो जाती है तो कहीं पीने के पानी का संकट हो जाता है और अब कश्मीर की समस्या शुरू हो रही है, हमारा देश आतंकवाद से निपट रहा है, ऐसी विम परिस्थिति में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। लोक सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है तो कानून में लोक सभा हो या विधान सभा हो, पांच साल प्रतिनिधि का कार्यकाल होता है, तो प्रतिनिधि का कार्यकाल कम होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान मंत्री अगर दूसरा चुनें तो मैं तो कहूं कि जैसे गांव में ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच होता है, ऐसे ही प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री होना चाहिए क्योंकि सरपंच का यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहां के उप सरपंच को चार्ज दिया जाता है और चार्ज के बाद वह अपने कार्यकाल तक रहता है। उन परिस्थितियों में वहां फिर अपना सरपंच बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने के बाद चार महीने या छ महीने या साल भर के बीच में सरपंच चुनते हैं और फिर वह अपना कार्यकाल शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति लोक सभा और विधान सभा में होने की आ वश्यकता है जिससे दिश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बचे, आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले। हम 21वीं सदी में पहुंचने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, वे देश के हित में नहीं सोचते हैं बल्कि पार्टी के हित में सोचते हैं। नया प्रधान मंत्री चुनने के लिए लोक सभा को भंग करने की आ वश्यकता नहीं है। यह स्थिति देश के लिए कलंक है। अलग से प्रतिनिधि को चुनकर आने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वह पांच साल कार्यकाल पूरा करने के लिए चुना गया है तो उसे अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। पिछले थोड़े समय में तीन बार चुनाव हुआ। मैं 1996 से लोक सभा का सदस्य हूं और पिछले समय में मुझे तीन बार चुनाव में आना पड़ा। इससे सब लोगों को कितनी परेशानी होती है, प्रशासन को भी परेशानी होती है, जनता को भी परेशानी होती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे भाई गीते जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि चार महीने की इन्होंने जो बात कही कि चार महीने के लिए किसी को प्रधान मंत्री चुनें, मैं तो कहूं कि अगर बहुमत पक्ष के प्रधान मंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे नंबर का कोई भी दल हो, उस दल के नेता को भी प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाये। अगर वह भी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाये तो तीसरे नंबर का भी जो दल होता है, उनका बहुमत न होते हुए भी अल्पमत वाले को भी सरकार चलाने के लिए कहा जाये और वह भी नहीं होता तो चौथे नंबर के दल को विश्वास प्राप्त करने के लिए चुना जाये जिससे देश की स्थिति सुधरे और देश में अच्छे वातावरण का निर्माण किया जा सके तथा अन्तर्राट्रीय समस्या से भी हमारे देश अपने आप को जोड़ सके और भारत के आम नागरिकों कों सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकें क्योंकि जब हम प्रजा तंत्र के प्रहरी के रूप में जनता के द्वारा विश्वास लेकर पहुंचते हैं तो उसे माननीय कहा जाता है क्योंकि लोगों ने उसे माना है न कि यहां के लोगों ने माना है क्योंकि विधान सभा या लोक सभा जनता के द्वारा चुनी जाती है पर जनता उन्हें भंग नहीं करती। उदाहरण के लिए नगर पालिका में नियम है कि अगर प्रतिनिधि गड़बड़ करता है या भ्रटाचार करता है या अन्य प्रकार के गंभीर आरोप उस पर होते हैं अथवा उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे पदच्युत किया जाता है। उसी प्रकार यदि प्रतिनिधि पर भी किसी प्रकार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं या वह गलत कार्य कर रहा है तो जनता उस प्रतिनिधि को हटाए न कि यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को सिर्फ एक प्रधान मंत्री नहीं चुने जाने के कारण लोक सभा भंग कर दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति अन्याय है बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह लोक तंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में पांच साल लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल होना आवश्यक है और उनका कार्यकाल जैसा गीते जी ने कहा कि चार महीने देखने की भी आवश्यकता है। उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : आदरणीय सभापति जी, संविधान संशोधन विधेयक जो माननीय श्री अनंत गंगाराम गीते जी ने सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सदन में विधेयक विचार करने के लिए लाए हैं। यह विधेयक प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा विधेयक है।

इस विधेयक पर मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अपने-अपने विचार सदन में प्रस्तुत किए हैं। माननीय सदस्य, श्री आठवले, सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने संविधान के निर्माता, डा. अम्बेडकर, का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान जो बनाया गया है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था. उस समय की परिस्थिति व जनता की भावनाओं और आज की परिस्थिति व वातावरण में परिवर्तन आ गया है। जब संविधान रचा गया था, उस समय यह ख्वाब में भी नहीं सोचा गया होगी कि देश में क्षेत्रीयवाद आएगा और देश में विभिन्न पार्टियां जातियों के आधार पर खड़ी होंगी तथा राट्र को कमजोर करने के लिए आए दिन चुनाव में जल्दी-जल्दी जायेंगी। इससे देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब शासन व्यवस्था में स्थिरता की कमी रहेगी, तो देश अपने आप में कमजोर होता दिखाई देगा। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है, जब पांच र्वाों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं का गठन हुआ है, देश की जनता ने उनको पांच र्वाों के लिए चुना है, तो निश्चित रूप से वे सरकारे पांच साल तक रहनी चाहिए। इस पांच साल के दौरान जो निर्णय होते हैं, सरकार स्थिर दिखाई देती है, तो प्र ाशासन भी उतनी ही चुस्ती के साथ काम करता है। इस देश के प्रजातन्त्र में अगर कोई सबसे बड़ा अधिकारी है, तो वह जनता है, जिसने हमें चुनकर भेजा है। लेकिन आज लोक सभा और विधान सभाओं में ऐसी घटनायें हो रही हैं, शासन की कमजोरी के कारण, सारे अधिकार अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इस कारण हम विधान सभाओं और लोक सभा में देखते हैं कि सांसद और विधायक के साथ अभद्रता का व्यवहार होता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि देश की शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया है। मेरे से पूर्ववक्ता ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस ने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश को बार-बार चुनाव में ढकेलने की कोशिश की है और आज भी ाडयन्त्र रचते रहते हैं। आज भी कांग्रेस के लोग योजनायें बना रहे हैं कि कुछ-न-कुछ बहाना लेकर तुरन्त चुनाव में जायें, जबकि जनता ने हमको पांच र्वाों के लिए चुनकर भेजा है। देखा जाए, तो जनता बिजली चाहती है, जनता सड़कें चाहती है और जनता शिक्षा चाहती है। देखा जाए, तो दस-बीस साल पहले लोक सभा और विधान सभाओं में रोटी-कपड़ा और मकान को ध्यान में रखकर आवश्यकता अधिनियम बनाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता बिजली की है, सड़कों की है और शिक्षा की है। हमारे देश में अन्न के भंडार हैं, सब कुछ है, लेकिन देश में रोज-रोज चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव की प्र ाक्रिया में हम अपने आपमें खुश होते हैं कि हमने फलां सरकार को गिरा दिया और उसको तुरन्त बदल दिया या हम तुरन्त चुनाव में आ गए। चुनाव के बाद हम बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयेंगे और सरकार बनायेंगे। यह ख्वाब जो छोटे-छोटे दल देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस तरह से यूएसए या अन्य देशों में होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष, सिर्फ दो पार्टीज होनी चाहिए। छोटी-छोटी पार्टियों को अधिक महत्ता नहीं मिलनी चाहिए। इस देश को मजबूत करना है, तो केन्द्र को बहुत मजबूत होना चाहिए।

केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वास्तव में ऐसा तय हो जाना चाहिए कि पांच र्वा तक लोक सभा चलेगी। माननीय गीते जी और आप भी मेरे से बहुत सीनियर हैं। जब प्रजातंत्र में पांच साल के बाद देश का प्रधान मंत्री, सांसद अपने कार्यों की समीक्षा के लिए जनता के बीच में जाता है तो संविधान में संशोधन करके यह भी होना चाहिए, उनके कार्यों की समीक्षा भी हर साल होती रहनी चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो उन्हें बुलाया जाए। हमें जो भत्ता मिलता है, अगर हम लोक सभा में आएंगे तब हमें 400 रुपए मिलेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं मिलेंगे। उसी तरह से लोकतंत्र की असली परिभााा यही है कि प्रजातंत्र में उनकी पूरी मजबूती होनी चाहिए, उन्हें लोक सभा और विधान सभा में पांच साल तक कोई हिला न सके। यदि कहीं कोई व्यवधान आए तो उसे चार महीने का समय देकर मौका दिया जाना चाहिए। आपने चार महीने के समय की बात कही है, मैं तो कहता हूं कि छ: महीने का समय देकर उसे मौका दिया जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय दल की किसी भी रुप में पांच र्वा तक लोक सभा और विधान सभा चलती रहनी चाहिए। इससे देश का भला होगा और प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा तभी हमारे अंदर राट्रीयता की भावना आएगी। शासन मजबूत होगा और प्रशासन में अपना वर्चस्व बढ़ेगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, kindly allow me to speak. I will give some suggestions.

MR. CHAIRMAN : You will have to seek clarifications.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, though I agree with the tone and tenor of this Bill brought by Shri Anant Gangaram Geeteji, I do not agree with some of the procedures suggested by him.

MR. CHAIRMAN: You have already participated in the discussion. You can only seek clarifications now. There is no tradition by which I can allow you to speak again.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, please give me five minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already spoken for seven minutes. आप बोल चुके हैं।

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am sorry. मैं इसके ऊपर नहीं बोला।

सभापति महोदय : यह परम्परा नहीं है, आप कुछ प्वाइंस रख सकते हैं। आप इस पर बोल चुके हैं, अब आप अगले किसी विाय पर बोलिए। Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Mr. Chairman, Sir, this Private Member Bill was introduced by the hon. Member, Shri Anant Gangaram Geete on the 17th December, 1999.

This Constitution (Amendment) Bill, 1999 has sought to introduce two new articles 75A and 164A in the Constitution. As a consequence of that, the consequential amendments are also proposed by articles 85(2) and 174(2). Articles 75 and 164 concern the appointment of the Prime Minister as well as the Chief Minister in the States respectively.

In fact, article 75(A), in a nutshell, is the introduction of constructive vote of confidence. To my knowledge, Germany has already such a provision. By proposing such a Bill, Shri Geete has certainly done a yeoman service.

It is a very contemporaneous Bill in the relevant time. I think everybody, not only the general public but all the Members of this august House are unanimous about this that somehow or the other we must achieve and attain stability at the Centre as well as in the States. What mechanism can be found for that? What should we do about it? That has to be thought over. Shri Anant Gangaram Geete has very wisely suggested certain things by the introduction of this Bill. His logic is that Indian political system has come under increasing stress due to fractured polity and multiplicity of parties. During the last one decade, during the last five elections from 1989-99, no single political Party had been ever able to achieve the simple majority. This period was marked by a succession of about eight Prime Ministers running coalition or minority Governments resulting in frequent elections. This has a destabilising effect on the psyche of the people. Our socio-economic system also undergoes strain. Question mark also arises not only on the credibility but also on the efficacy of the present Constitutional framework.

Mr. Chairman, Sir, as many as 16 hon. Members participated in this discussion earlier, and seven hon. Members have taken part today. I am grateful to each one of those for their wise suggestions. They have also represented the feelings of not only this House but also the people at large of this country. All of them have stressed one point that there must be a fixed term of Parliament as well as Assemblies. Except one hon. Member, nobody has opposed this Bill. Though they had certain differences on certain provisions, nobody has opposed this Bill except one hon. Member, Shri Ramji Lal Suman who had opposed this Bill. Otherwise, all the 23 hon. Members have supported this Bill by one voice.

In addition to hon. Member Shri Anant Gangaram Geete, Shri Anadi Sahu, Shri Nawal Kishore Rai, Prof. Ummareddy Venkateswarlu, Shri Sukdeo Paswan, Shri Shyam Bihari Mishra, Shri Haribhau Shankar Mahale, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Harpal Singh Sathi, Shri Manikrao Hodlya Gavit, Shri V.P. Singh Badnore, Shri Kharabela Swain, Shri Ramji Lal Suman, Shri Thawar Chand Gehlot, Dr. Nitish Sengupta and Shrimati Shyama

Singh spoke in support of this Bill.

The issue raised by all those hon. Members were as follows. I may point out them summarily. They pointed out that frequent elections should be avoided. Money spent on elections could be properly used for development purposes. Elections are expensive. Criminalisation of politics takes place during frequent elections. Political instability results from frequent elections. Development work suffers. If there is no fixed tenure, hostility by the neighbouring country also gets a fillip due to political instability. All these things have been pointed out. This is the summary of the speeches of all the hon. Members. I feel that we need to explore some steps to bring about a system which can reduce political instability. That is the objective, purpose of the Bill which the hon. Member, Shri Anant Gangaram Geete had introduced.

But Mr. Chairman, Sir, in his Aims and Objects of the Bill, Shri Geete has himself admitted that the Government has already decided to constitute a panel to review the whole Constitution.

The era of coalition Governments has come in from 1989 onwards and is still continuing. We are trying to find out how coalition Governments could be made stable, effective and could meet the requirements of this country, the needs of the poor people of this country. We feel, no single party is going to get a majority. That is the feeling of the people; that is the feeling of this House. In view of this situation, we have to think about the amendments to the Constitution. In its wisdom, the NDA Government has already constituted a very high-powered commission to review the Constitution, to look at the situation in view of the developments of the last 53 years and our experiences in the last 53 years. That is a forum of independent people, of notable integrity and very learned wisdom. I think, we should leave this matter also to their wisdom so that keeping in view all the developments during these 53 years and also the experience we have of the working of the present Constitution, they can make suggestions.

Once the report of the Review Commission comes in, at that time, the report could be examined. Again, ultimately, it would be this august House that would have to decide what amendments we have to make. If the Bills are brought forth, they would also be coming before this august House and the other House. So, my request to Shri Geete would be, in view of his own admission and in view of his knowledge and the knowledge of all hon. Members who have participated in this discussion and who have not been able to participate, that the high-powered Commission is already seized of the matter, to withdraw this Bill.

Even the hon. President, while addressing the Joint Sitting has already indicated on the 25th October, 2000 that the Government would examine replacing the present system of No-Confidence Motion by a system of constructive Vote of Confidence. Even the hon. Prime Minister, while speaking on the occasion of celebrating the 50th year of the Election Commission of India, *inter alia,* observed that he strongly felt that a fixed tenure for our Parliament and State legislatures was essential for our democratic system to become mature and deliver good governance.

In view of the Prime Minister's observation and the President of India having expressed unequivocally what the nation wanted when he spoke to both Houses − he also delivered his address on this topic also − and in view of the fact that the review Commission is already seized of having a second look on the Constitution, I think, it is time I made a request to the hon. Member Shri Geete that he might withdraw his Bill so that we can wait for the report of the Commission.

I also take the liberty to inform this House that all hon. Members of this august House who have participated in this discussion and who have not been able to participate are free to make their suggestions and address their views to the Commission, which is a better form and which is in a better position to go into the various aspects of the Constitution including these two new clauses that are now sought to be added to the Constitution.

With these remarks, I would once again request Shri Geete to withdraw this Bill in the interest of the overall review of the whole question. I also thank all the participants and all hon. Members with whose advice and suggestions we stand benefited and enlightened.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I would request you to allow me for just a minute.

It is all right that we are making a reference to the Constitution.

But from the Government side, our suggestion should be conveyed to the Review Commission.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, with due respect to the mover of the Bill, the hon. Minister should appreciate that this is a Bill discussing duration of the Indian Parliament. Many hon. Members have participated in it. He has mentioned that 23 Members have participated in the discussion. However, most of the Members are the

Members of the ruling coalition supporting the Government. On the other side, he was making a reference to the Review Commission. The hon. Minister should know that the Review Commission is not appointed by the Parliament; the Review Commission is appointed by the Government. We have not accepted it. We have our own opinions about the Review Commission. Even one of my hon. colleagues, Shri Ramdas Athawale, was misquoted by another speaker. But I did not intervene because he was not present. Shri Ramdas Athawale has never said that there cannot be an amendment to the Constitution. He said, NDA can review the NDA Government's working and not the Constitution of India. I object here. The hon. Minister should not compel or the hon. Minister should not request the Member to withdraw the Bill in view of the Review Commission because this Parliament has not discussed whether the Commission, which is an outside agency, has the power to review the Constitution. ...(*Interruptions*) I will request that after such a detailed discussion on a very important subject where, only except one Member, all have supported the Bill, let there be a decision on the Bill. Please do not quote the Review Commission in this Parliament because it is the decision of the Government and not of the honourable Parliament.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर सदन के 23 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। श्री रामजी लाल सुमन जी को छोड़कर लगभग बाकी 22 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। श्री सुमन ने इस विधेयक का विरोध करते समय कुछ शंकायें प्रकट की थी। उस संदर्भ मे मैं कुछ स्पष टीकरण करना चाहता हूं। इस विधेयक पर सभी दलों ने समर्थन दिया है जबकि श्री रामजीलाल सुमन ने इस विधेयक पर बोलते हुये यह कहा था कि सरकार बचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के विधान लाने की घोाणा सदन के बाहर की है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिये।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे इस विधेयक के उत्तर में बताया है कि यह विधेयक किसी सरकार को बचाने के लिये नहीं लाया गया और न इस विधेयक का यह उद्देश्य है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि न केवल केन्द्र बल्कि राज्यों में भी मिली-जुली सरकारें कार्यरत हैं और आने वाले समय में भी न केवल केन्द्र बल्कि राज्यों में भी मिली-जुली सरकारें होंगी। मेरे विचार से निकट भविय में एक पार्टी की सरकार आने वाली नहीं दिखाई देती। सभापति जी, आप जानते हैं कि 1989 के बाद से इस देश में पांच बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और आठ सरकारें बनीं। आपको इस बात का अनुभव है कि सरकार को गिराने के लिये इक्ट्ठे होते रहे हैं लेकिन सरकार बनाने के लिये इक्ट्ठे नहीं होते रहे। इस विधेयक की भूमिका को देखते हुये किसी दल ने इस विधेयक का विरोध इसलिये नहीं किया कि सरकार बनाने के लिये लोग इक्ट्ठे नहीं हो रहे बल्कि गिराने के लिये एक साथ हैं। किसी एक प्रधानमंत्री को गिराने के लिये है लेकिन दूसरे को बनाने के लिये नहीं है।

इसलिए हम यह विधेयक यहां लाये हैं। आज सारे देश में राजनीतिक अस्थिरता है और उसके दुपरिणाम हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव कर रहे हैं। हमें इस देश से राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की आवश्यकता है, इसलिए यह विधेयक यहां लाया गया है। यह विधेयक किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं लाया गया।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रधान मंत्री जी ने कहीं बाहर स्टेटमैन्ट दिया है, प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट के पूर्व यह विधेयक सदन में आया है, उसके बाद नहीं आया है। इसलिए प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट को इससे जोड़ना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, उन्होंने एक बात और कही कि चुने हुए प्रतिनिधि को जनता को वापिस बुलाने का अधिकार हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। यदि जनता का प्रतिनिधि कोई गलत काम करता है या अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर नहीं निभा पा रहा है या मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे वापस बुलाने का जनता को अधिकार होना चाहिए। किसी गलतफहमी के कारण श्री रामजी लाल सुमन ने यहां इसका विरोध किया है, जबकि उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मंत्री जी के द्वारा यहां वक्तव्य दिया गया है, सरकार भी इससे सहमत है और सरकार स्वयं चाहती है कि हमारे संविधान में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार स्वयं सदन के सामने आना चाहती है। संविधान की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की है, उसका संदर्भ भी यहां दिया गया है। यह सारे सदन की मांग है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना चाहिए। इसलिए हमने यह सुझाव दिया था। यहां महामहिम राट्रपति जी हर बार नहीं कहते हैं कि यदि सरकार अल्पमत में आती है तो आप विश्वास मत सदन के सामने लेकर आइये। लेकिन हमारे लोकतंत्र की जड़ें और बुनियाद बहुत मजबूत है और उस पर हमारी जनता का विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए जब सरकार अल्पमत में आती है तो उस अल्पमत सरकार के प्रधान मंत्री स्वयं विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, यह हमारी सदन की परम्परा है। इसलिए हमने यह सुझाव दिया था कि जब विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो उसे पराजित करने के लिए सारे लोग एक हो जाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। लेकिन फिर से सरकार बनाने के लिए वे एक नहीं हो पाते हैं और इसका प्रभाव सारे देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था और अन्य सारी बातों पर पड़ता है, जिसके परिणाम आम आदमी को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए यदि कोई सरकार अल्पमत में आई है तो अल्पमत वाली सरकार विश्वास मत लाने के बजाय यदि कोई दूसरा नेता सदन में चुना जा सकता है तो उसे चुनने के लिए उसका विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने लाया जाए और एक नेता को चुना जाए और उसे चुनने के बाद दूसरे नेता पर अविश्वास दिखाया जाए। यदि यह नहीं हो पाता है तो फिर हमने चार महीनों का कूलिंग ऑफ यहां दिया था। चुनाव पर हम कितना धन खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर यह होगा कि चार महीने का कूलिंग ऑफ देकर हम राजनीतिक दलों को नेता के नाम पर विचार करने का अवसर दें । चार महीने के बाद राट्रपति जी एक बार फिर से सदन को गठित करे और सदन को नेता चुनने का अवसर दे। मेरी इन सारी बातों से सदन सहमत होगा और सरकार भी सहमत होगी। सरकार स्वयं इस प्रकार से संविधान में सुधार लाना चाहती है।

सभापति महोदय : गीते जी, आपने अपने बिल में एम्स एंड ऑब्जेक्ट में आर्टीकल 75 और आर्टीकल 65 का भी जिक्र किया है, उसके संदर्भ में आप सदन में क्या कहना चाहते हैं, उनसे आपका क्या अभिप्राय है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : हमने यहां जो अपनी राय रखी है कि संविधान निर्माताओं को संविधान के बनाने के समय यह पता नहीं था कि भविय में इस देश में इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता आयेगी। उस समय की जो स्थिति थी उसके मुताबिक संविधान बनाया गया था। लेकिन अब राजनीतिक हालत दिन-प्रतिदिन बदलती जा रही है तथा भविय में यह क्या स्वरूप लेगी, यह कहना मुश्किल है। जो विधेयक हम यहां लाये हैं उसका मूल कारण यही है। चाहे विधान सभा हो या लोक सभा हो और आज सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है, प्रधान मंत्री जी ने भी जाहिरी तौर पर यह माना है, राट्रपति जी ने भी अपने अभिभााण में इसका उल्लेख किया है कि देश राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए इसकी आवश्यकता है और इस पर सारा सदन सहमत है। इसके आगे मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

इसीलिए सरकार की ओर से जो मंत्री जी ने प्रार्थना की है कि इस पर पीछे हटें, मैं विश्वास करता हूं कि सरकार की ओर से संशोधन करने वाला विधेयक अवश्य इस सदन में आएगा जिस विधेयक पर यह सदन सहमत होगा और जो राजनैतिक अस्थिरता है वह इस देश में खत्म होगी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने बिल वापस लेने का अनुरोध किया है, पीछे हटने का नहीं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं वही कह रहा हूं। इसी विश्वास और आशा के साथ मंत्री जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति

चाहता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI ANANT GANGARAM GEETE : I withdraw the Bill.